ाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त ेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण पने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के धिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा/ईकबाली जबाब दिनांक 14.07.2021 में वादी था प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी क्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी हमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा डेह के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित ातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में श्कारान द्वारा खसरा नं. 642 की भूमि का माफिक राजीनामा/ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा । प्रतिवादी कानाराम के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है क्यो कि वादपत्र के रा संख्या 3 में अन्य बडेर भूमि होने का उल्लेख किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 श्रवणी के ा मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य कोई भूमि रखने के संबंध में ाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी ावणी के हक हिस्से का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना न्यायसंगत है। अतः मौजा ेह के खेत खसरा नंबर 642 में वादी नगराज एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1) साथ सहखातेदार घोषित जाकर जाकर वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना चित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार केया जाकर मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 642 में वादी नगराज एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को ्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी नगराज के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 642 रकबा 5.6980 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 जयराम के फौत होने से नाम हटाया जा चुका है।
3. वाद पत्र के पेरा संख्या 3 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 कानाराम के अन्य बडेर की भूमि रखे जाने के कारण मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गयी है।
4. प्रतिवादी श्रवणी के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य भूमि रखे जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है अतः प्रतिवादी श्रवणी के हक हिस्से का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाने पर ही तहसीदार जायल राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 08/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

08/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner